तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

I

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं (राज०)

— x — x —

मुकदमा नं० - 34/2021

(1) ममराम पुत्र हरनंद जाति जाट निवासी ग्राम आजाड़ी कलां तहसील व जिला झुंझुनूं (राज०)। **आवेदक**

— बनाम —

(1) भूमिधारक तहसीलदार झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं

अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956 —

उपस्थित अधिवक्तागण

1. योगेन्द्र शर्मा अधिवक्ता आवेदक की ओर से -
2. मदन कुमार सैनी राजस्व सरकार की ओर से -

निर्णय दिनांक 14/2/2022

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक ने दिनांक 16.3.21 को एक-आवेदन-पत्र अ० धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध भूमिधारक तहसीलदार झुंझुनू के पेश किया कि ग्राम आजाड़ी कलां तहत तहसील झुंझुनू में कृषि भूमि खसरा नं० 212, 281, 282, 283 कुल किता 4 कुल रकबा 4.68 हे० स्थित है जिसका प्रार्थी आवेदक रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है व शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। आवेदक की भूमि के पूर्वी सीमा के सहारे-2 एक काटान शुदा रास्ता जाता है जिसके खसरा नं० 261 है। उक्त वर्णित रास्ता 6 मीटर चौड़ा है तथा प्रार्थी की जमीन के पास भी 6 मीटर चौड़ा रास्ता ही है परन्तु सन् 1992-93 में सैटलमेन्ट विभाग से नया नक्शा तैयार किया था। तब उक्त नक्शा ट्रेस में राजस्व अधिकारियों ने गलत त्रुटिपूर्वक प्रार्थी की भूमि खसरा नं 283 के पास से उक्त रास्ते को overwriting करके जान बुझकर चौड़ा कर दिया है उक्त तथ्य नक्शा ट्रेस को प्राथमिक तौर पर देखने से ही स्पष्ट रूप से पता चलता है। आवेदक की भूमि के पास स्थित रास्ता 6

-2-

14.02.22

उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	2
	मीटर चौड़ाई का होते परन्तु नक्शा शीट में काट-छांट कर मुख्य डुंगरी से उक्त रास्ते को 10 मीटर चौड़ाई का किया गया है जो स्वाभाविक तौर पर भी संभव नहीं है इससे स्पष्ट है कि आवेदक को हानि कारित करने के लिये नक्शा शीट में काट-छांट कर रास्ते को चौड़ा किया गया है जो अविधिक है। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकार के उक्त नक्शा शीट में कांट छांट की है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। उक्त नक्शा शीट को दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है प्रार्थी का आवेदन-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ख०न० 283 के पास स्थित ख०न० 261 की नक्शा शीट में की गई काट-छांट (overwriting) को दुरूस्त करने का निवेदन किया गया। अनुसार आवेदन-पत्र पेश करने पर आवेदन-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर आवेदन पत्र के वर्णित तथ्यों बाबत तहसीलदार से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार ने अपने पत्र क्रमांक-राजस्व/धारा 136/2021/ 1334 दिनांक 12/7/21 को पेश की। जिसके अनुसार ग्राम मेरलमेर की नक्शा शीट (संलग्न छायाप्रति अनुसार) में ख०न० 236 के सामने वाले ख०न० 227 के रास्ता एक साईड पुराना लाईन व दूसरी साईड डोटेड लाईन से दर्ज किया हुआ है जो वर्तमान नक्शा-शीट (छायाप्रति संलग्न) के डोटेड को बजाय पुराना कर दिया गया है जो सेटल- मेन्ट विभाग द्वारा पैमाईश में किया गया है जिसके रास्ते की चौड़ाई वर्तमान नक्शा शीट के अनुसार 6 से 10 मीटर है जबकि मौके पर रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर होना जाहिर करते हुए पेश की गई जो शामिल मिसल की गई। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों अधीनस्थ (तहसीलदार (खेतड़ी) द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट क्रमांक 1334 दिनांक 12/7/21 व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा वाद संबंधित पत्रावली पर गौर मनन किया। जिससे प्रार्थी आवेदक का यह प्रा०-पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है अतः
	-3-
	आदेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (3)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आवेदक का आवेदन-पत्र [illegible] सही सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाकर ग्राम अजाड़ी कलां के ख०नं० 227 व नम्बर 283 की वर्तमान नक्शा शीट को पुरानी नक्शा शीट के अनुसार दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट इस आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार झुंझुनूं को पालनार्थ हेतु आदेश प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार में करके दर्ज रजिस्टर निकास हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 14/2/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] 14.02.22 उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं (राज.)	